न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39/2022	2022/194	19.04.2022	01.12.2025

उनवान प्रकरण

सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० बृजमोहन, जाति ब्राहम्ण, निवासी प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान

वादी

बनाम

1 विनोद
2 रविकुमार पुत्रांन स्व० शांतिस्वरूप
3 सुशीला
4 सरोज
5 संतोष
6 सीता पुत्रियांन स्व० शांतिस्वरूप
7 बबली पत्नि राजेश
8 भारत पुत्र राजेश
9 परी पुत्री राजेश, नाबालिगान जरिये संरक्षक माता बबली
10 बिल्लू
11 शिवचरण
12 राजू
13 घनश्याम पुत्रांन चमेली पुत्री बंशीधर
14 नीरू
15 मुन्नी पुत्रियांन चमेली पुत्री बंशीधर
16 पप्पू
17 बिल्लू पुत्रांन बिमला पुत्री बंशीधर
18 मनोज पुत्री बिमला पुत्री बंशीधर
19 रतन
20 मित्रपाल
21 नेतराम
22 सत्यपाल
23 ज्ञानचन्द पुत्रांन प्रहलाद पुत्र बादामी
24 रमेश
25 सुरेश
26 नरेश
27 गांधी
28 कमेश पुत्रांन केकई पुत्री सोहनलाल
29 नानूमल पुत्र रामेश्वर
30 लक्ष्मीनारायण पुत्र रामेश्वर
31 गीता पुत्री रामेश्वर
32 संतरा पुत्री बद्रीप्रसाद
33 रामप्यारी पत्नि लीलाधर
34 आशा
35 ललिता पुत्रियांन लीलाधर
36 मेघराज पुत्र लीलाधर
37 राजू पुत्र मनीषा पुत्री बद्रीप्रसाद
38 शारदा

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

39 तृष्णा
40 योगिता
41 बीना पुत्रियांन मनीषा पुत्री बद्रीप्रसाद
42 मुरारीलाल
43 गिरधारी
44 बजरंगलाल पुत्रांन बद्रीप्रसाद
45 सरस्वती पुत्री बादामी
46 तुलसीदास
47 लक्ष्मीचन्द
48 भरतलाल पुत्रांन रामचन्द्र
49 सत्यनारायण पुत्र कौशल्या पुत्री सोहनलाल
50 रामोरज्या पुत्री सोहनलाल
51 बिल्लू पुत्र दया पुत्री सोहनलाल
समस्त जातियान ब्राहम्ण, निवासीयान प्रागपुरा, तहसील पावटा
52 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला जयपुर राजस्थान
53 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान **प्रतिवादीगण**
54 – धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बृजमोहन
55– माया देवी
56– सुनीता शर्मा
57– रेखा देवी पुत्रियांन बृजमोहन
58– राधा देवी पत्नि स्व० बृजमोहन
समस्त जातियान ब्राहम्ण, निवासीयान प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान
तरतीबी प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री जितेन्द्र रावत व राजाराम रावत
प्रतिवादी सं. 01, 07, 42, 43, 44 वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा
प्रतिवादी सं. 29, 31, 34, 35, वकील श्री मुकेश गुर्जर
शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही

दावा घोषणात्मक एंव स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांकः 01.12.2025**

1. वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश दावा संक्षेप में यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1828/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा. तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार पूर्व में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 54 लगायत 57 के दादा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 58 के ससुर फूलचन्द थे। फूलचन्द की मृत्यु के बाद फूलचन्द की पत्नि व वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 54 लगायत 57 के दादा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 58 की सास महादेवी काबिज काश्त हुई तथा महादेवी की मृत्यु के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 54 लगायत 57 के पिता व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 58 के पति ब्रजमोहन काबिज काश्त हुये तथा ब्रजमोहन की मृत्यु के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज काश्त हुये तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

2. वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग फूलचन्द व महादेव के कोई जायन्दा संतान नही होने के कारण बचपन में ही वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 54 लगायत 57 के पिता व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 58 के पति ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वर प्रसाद को हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार पण्डित बुलाकर हवन पूजा करके परिवारजन व रिश्तेदारो की मौजूदगी में गोद में बैठाकर गोद ले लिया था, गोद लिया उस समय पतासे वगैरह बांट दिये थे और एक लिखावट भी लिख दी थी जिसमें ब्रजमोहन के पिता रामेश्वर प्रसाद ने गोद देने की सहमति भी दे दी थी। उसके बाद बचपन से ही ब्रजमोहन का लालन पालन फूलचन्द व उसकी पत्नि महादेवी ने अपना पुत्र मानकर किया था।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. फूलचन्द व महादेवी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र होने के नाते उनके दाह संस्कार व क्रियाकर्म भी ब्रजमोहन ने किये थे। इस प्रकार फूलचन्द व महादेवी के फूटस्टेप पर उक्त भूमि पर ब्रजमोहन काबिज हुआ तथा उसकी मृत्यु के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51 व उनके बुजुर्गान का वाद–पत्र में वर्णित आराजी से कभी कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही रहा है, ना ही आज है। लेकिन प्रतिवादीगण 1 लगायत 51 ने महादेवी की मृत्यु के बाद उपरोक्त वर्णित आराजीयात को हडपने की नियत से राजस्व कर्मचारियो से साज बाज होकर महादेवी व फूलचन्द को लाऔलाद फौत बताकर उक्त आराजी का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51 का वाद–पत्र में वर्णित आराजी से कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही है, ना ही कभी रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है ।

4. यह कि अब वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ने हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को पता चला कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51 व उनके बुजुर्गान का नाम दर्ज है। जिस पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51 को कहा कि उन्होने सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से की है तथा उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड से अपना नाम हटवाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवा दो। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51 नही माने तथा ऐलानियां धमकी दी कि हम उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में हमारा नाम दर्ज होने के कारण उक्त आराजी को दीगर लोगो को बेचान करेगे, तुमको आराजी से बेदखल करेगे तथा तुमको शांतिपूर्वक काबिज काश्त नही करने देगे। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51 को काफी समझाया लेकिन नही मान रहे है तथा गत सप्ताह से साफ इन्कारी है। इसलिये माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है।

5. यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 51 उक्त आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने, वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को आराजी से बेदखल करने, वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करने में कामयाब हो गये तो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को अजहद नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जरें नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में फंसना पड़ेगा जिससे वाद बहुलता को बढ़ावा मिलेगा।

6. यह कि बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः वाद अन्दर मियाद पेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत नियत न्यायशुल्क पर वाद पेश है। वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार है। तरतीबी प्रतिवादीगण के उक्त वाद में वादी के समान हित निहित है लेकिन दावा दायरी के वक्त मौजूद नहीं होने के कारण तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है।

7. अतः वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण दावेदार है कि एक किता डिकी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1828/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 51 व उनके बुजुर्गान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी कदर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे। अलग से पासबुक जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

8. तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1828/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51, वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलन्दाजी पैदा ना करें। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा काश्त करने देवें, वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को आराजी से बेदखल ना करें, ना ही ऐसी कोई धमकी देवें। आराजी को किन्ही दीगर लोगों रहन बैय बेचान या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल या ट्रांसफर ना करे। प्रतिवादी संख्या 52 को पाबन्द किया जावे कि वे हाल राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली ना करें। प्रतिवादी संख्या 53 को पाबन्द किया जावे कि यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 51 उक्त आराजी से सम्बन्धी कोई विकय–पत्र या अन्य अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज पेश करें तो उसे तस्दीक ना करें। ना ऐसा प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना अपनें किसी नौकर–चाकर, मुख्तयार, एजेन्ट, ठेकेदार आदि से करावें। सदा–सदा के लिए ममनू व बाज रहें। या जो दादरसी न्यायहित में हो सादिर फरमाई जावे। खर्चा मुकदमा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को दिलवाया जावे ।

9. वादपत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी। प्रतिवादी सं. 01, 07, 42, 43, 44 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 01 की ओर से जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 29, 31, 34 व 35 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल करवायी गयी। बावजूद तामिल प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे इस कारण प्रतिवादी सं. 02 लगायत 06, 08 लगायत 28, 30, 32, 33, 36 लगायत 41, 45 लगायत 51 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 54 लगायत 58 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जवाब दावा पेश होने पर तनकी कायम की गई। जो निम्नुसार है–

तनकी 01– आया आराजी हाल खसरा नम्बर 1828/0.45, वाके मोजा प्रागपुरा तहसील पावटा मे स्थित है, उक्त आराजी के रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार पूर्व मे वादी व तरतीबी प्रतिवादी के दादा व तरतीबी प्रतिवादी के ससुर फूलचन्द थे, फूलचन्द की मृत्यु के बाद फूलचन्द की पत्नि व वादी तरतीबी प्रतिवादी के दादा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 58 की सास महादेवी काबिज काश्त हुई, महादेवी की मृत्यु के बाद वादी व तरतीबी के पिता व तरतीबी के प्रतिवादी की संख्या 58 के पति ब्रजमोहन काबिज काश्त हुये, ब्रजमोहन की मृत्यु के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी काबिज काश्त हुये एवं आज भी काबिज काश्त है।.

.....वादी व तरतीबी प्रतिवादी

तनकी 02– आया वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग फूलचन्द एवं महादेवी के कोई जायन्दा सन्तान नही होने के कारण बचपन मे ही वादी व तरतीबी के पिता प्रतिवादी संख्या 58 के पति ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वर प्रसाद को हिन्दू रिती रिवाज के अनुसार परिवार जन एवं रिश्तेदार की मौजूदगी में गोद में बैठकर गौद ले लिया था, एक लिखावट भी लिख दी थी। जिसमें ब्रजमोहन के पिता रामेश्वर प्रसाद ने गोद लेने की सहमति दे दी थी।.....

वादी व तरबीती प्रतिवादी

तनकी 03– आया आराजी खसरा हाल 1828/0.45 वाके मोजा प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली दृ बहरोड राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 51 व उनके बुर्जुनगान का नाम कल्मजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्त घोषित करवाने का अधिकारी है।.....वादी व तरबीती प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तनकी 04– आया वादी एव तरतीबी प्रतिवादी 54 लगायत 57 के दादा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 58 के ससुर फूलचन्द पुत्र मूलचन्द ना होकर रामेश्वर पुत्र मूलचन्द है फूलचन्द व उनकी पत्नि महादी देवी की मृत्यु के उपरान्त आराजी पर प्रतिवादी 01 लगायत 54 व ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वर हिस्से अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आये है। फूलचन्द पुत्र मूलचन्द व महादी देवी के कोई जायन्दा सन्तान नही थी, ना ही उन्होने अपने जीवन काल मे किसी को गोद लिया। ..... प्रतिवादी

तनकी 05– आया ब्रजमोहन द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली के समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज हो चुकी है, उसके पश्चात वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा पुनः प्रस्तुत की गई अपील भी खारिज हो चुकी है। उन्ही तथ्यो के आधार पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रकरण चलने योग्य नही है। ..... प्रतिवादी

तनकी 06–आया सिविल न्यायालय से स्वंय के पिता को फूलचन्द पुत्र मूलचन्द के दत्तक पुत्र घोषित करवाये बिना वाद चलने योग्य नही है। .....प्रतिवादी गण

10. वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य में साक्षी/वादी सुरेश पुत्र स्व. बृजमोहन का बयान शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। साक्ष्यवादी में गवाह के बयान व जिरह पूर्ण तथा वाद के समर्थन में पेश दस्तावेजात प्रदर्श 01 हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078, प्रदर्श 02 वोटर लिस्ट प्रति सन 1980, प्रदर्श 03 वोटर लिस्ट प्रति सन 1971 एवं अन्य दस्तावेजात नामन्तकरण सं. 2729 की फोटोप्रति, जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 की जमाबन्दी की फोटोप्रति, महादेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, फूलचन्द शर्म के मृत्युप्रमाण की फोटोप्रति, बृजमोहन का आधार कार्ड, पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति इत्यादि पेश किये जो शामिल पत्रावली किया गया।

11. साक्ष्यवादी पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली साक्ष्यप्रतिवादी हेतू नियत की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने साक्ष्यप्रतिवादी नही करवाकर साक्ष्यप्रतिवादी बन्द करवाकर पत्रावली को बहस हेतू नियत किया। दिनांक 11.11.2025 को वादी एवं प्रतिवादी सं. 01, 07, 42, 43, 44 मय अधिवक्ता उपस्थित राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी सं. 01, 07, 42, 43, 44 के मध्य राजीनामा हो गया है। जब वादीगण का उक्त वाद डिक्री फरमा दिया जावे तो हम प्रतिवादी सं. 01 प्रतिवादी सं. 07 बबली पत्नि राजेश, प्रतिवादी सं. 42 मुरारीलाल, प्रतिवादी सं. 43 गिरधारी, प्रतिवादी सं. 44 बजरंगलाल पुत्रान बद्रीप्रसाद को कोई आपत्ति नही है। अतः सेवामें प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद बिनाय राजीनामा डिक्री फरमाने की कृपा करें। वादपत्र एवं राजीनामा पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत का भली भांति अवलोकन व अध्ययन कर मनन किया। वादपत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर हाल 1828/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 51 व उनके बुजुर्गान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना सही सिद्व होता है क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01, 07, 42, 43, 44 मय अधिवक्ता उपस्थित राजीनामा पेश किया है तथा वाद पत्र को डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

अतः दावा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1828/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी सं. 01 लगायत 51 का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पावटा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(डॉ साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39/2022	2022/194	19.04.2022	01.12.2025

उनवान प्रकरण

सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० बृजमोहन, जाति ब्राहम्ण, निवासी प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान

वादी

बनाम

1 विनोद
2 रविकुमार पुत्रांन स्व० शांतिस्वरूप
3 सुशीला
4 सरोज
5 संतोष
6 सीता पुत्रियांन स्व० शांतिस्वरूप
7 बबली पत्नि राजेश
8 भारत पुत्र राजेश
9 परी पुत्री राजेश, नाबालिगान जरिये संरक्षक माता बबली
10 बिल्लू
11 शिवचरण
12 राजू
13 घनश्याम पुत्रांन चमेली पुत्री बंशीधर
14 नीरू
15 मुन्नी पुत्रियांन चमेली पुत्री बंशीधर
16 पप्पू
17 बिल्लू पुत्रांन बिमला पुत्री बंशीधर
18 मनोज पुत्री बिमला पुत्री बंशीधर
19 रतन
20 मित्रपाल
21 नेतराम
22 सत्यपाल
23 ज्ञानचन्द पुत्रांन प्रहलाद पुत्र बादामी
24 रमेश
25 सुरेश
26 नरेश
27 गांधी
28 कमेश पुत्रांन केकई पुत्री सोहनलाल
29 नानूमल पुत्र रामेश्वर
30 लक्ष्मीनारायण पुत्र रामेश्वर
31 गीता पुत्री रामेश्वर
32 संतरा पुत्री बद्रीप्रसाद
33 रामप्यारी पत्नि लीलाधर
34 आशा
35 ललिता पुत्रियांन लीलाधर
36 मेघराज पुत्र लीलाधर
37 राजू पुत्र मनीषा पुत्री बद्रीप्रसाद
38 शारदा

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

39 तृष्णा
40 योगिता
41 बीना पुत्रियांन मनीषा पुत्री बद्रीप्रसाद
42 मुरारीलाल
43 गिरधारी
44 बजरंगलाल पुत्रांन बद्रीप्रसाद
45 सरस्वती पुत्री बादामी
46 तुलसीदास
47 लक्ष्मीचन्द
48 भरतलाल पुत्रांन रामचन्द्र
49 सत्यनारायण पुत्र कौशल्या पुत्री सोहनलाल
50 रामोरज्या पुत्री सोहनलाल
51 बिल्लू पुत्र दया पुत्री सोहनलाल
समस्त जातियान ब्राहम्ण, निवासीयान प्रागपुरा, तहसील पावटा
52 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला जयपुर राजस्थान
53 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान **प्रतिवादीगण**

54 – धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बृजमोहन
55– माया देवी
56– सुनीता शर्मा
57– रेखा देवी पुत्रियांन बृजमोहन
58– राधा देवी पत्नि स्व० बृजमोहन
समस्त जातियान ब्राहम्ण, निवासीयान प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान
तरतीबी प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री जितेन्द्र रावत व राजाराम रावत
प्रतिवादी सं. 01, 07, 42, 43, 44 वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा
प्रतिवादी सं. 29, 31, 34, 35, वकील श्री मुकेश गुर्जर
शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही

दावा घोषणात्मक एंव स्थाई निषेधाज्ञा

अतः दावा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1828/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी सं. 01 लगायत 51 का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पावटा लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आज दिनांक 01.12.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	